LOK SABHA

Tuesday, December 3, 1974/ Agrahayana 12, 1896 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MR. SPEAKER in the Chair]

WELCOME TO HIS EXCELLENCY DR. LUBOMIR STROUGAL, PRIME MINISTER OF THE CZECHOSLOVAKI SOCIALIST REPUBLIC

MR SPEAKER: Hon. Members, at the outset I have to make an announcement.

On my own behalf and on behalf of the hon. Members of the House, I have great pleasure in welcoming His Excellency Dr Lubomir Strougal, Prime Minister of the Czechoslovak Socialist Republic, who is on a visit to India He is accompanied by Madam Strougal. He is now seated in the Special Box. We wish him a happy and fruitful stay in our country. We convey our greetings and best wishes to him and through him to the Parliament, Government and the people of Czechoslovakia.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

विगत रेलवे हड़ताल के बाद टिकट चैकिंग स्टाफ के वे कर्मचारी जिन्हें बर्खास्त किया गया। मुअत्तल किया गया। जिन पर मुकदमा चलाया गया

*285. श्री शंकर दयाल सिंह ; क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) विगत रेलवे हड़ताल के बाद टिकट चेकिंग स्टाफ के ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनको मुअत्तिल अथवा बर्खास्त किया गया है अथवा जिन पर मुकदमा चलाया गया था , और

(ख) उनका क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI): (a) and (b). A statement is placed on the Table of the Sabha.

Statement

The present position regarding Ticket Checking staff who were suspended, dismissed or removed from service and against whom prosecution has been launched is as follows:—

S. No.	Railway	No. Under suspension	No. dismissed /removed from service and not taken back.	No. against who ptosecution is pending.
1	Central	1	Nil	19 (18 recommended for withdrawal)
2.	Eastern	Nil	7	Nil
3.	Northern	Nil	1	4
4.	North Eastern	3	2	Nil
5.	Northeast Feontier	Nil	10	Nil
6.	Southern	Nil	4	Nil
7.	South Central	Nil	1	2
8.	South Eastern	1	2	1
9.	Western	Nil	5	2

श्री शंकर दयाल सिंह वक्तव्य को देखने से पता चलता है कि यह या तो अपूर्ण है या इसको जानबूझ कर इस तरह से बनाया गया है। टिकट चेकिंग स्टाफ के लोग या तो गाडियां चलाते है या हरी झंडी दिखाते है। वे बराबर गाडी के साथ चलते है लेकिन उनको रनिंग स्टाफ का दर्जा अभी तक नही दिया गया है। उन्हे सजा भी सबसे अधिक दी गई है। 6 अगस्त, 1974 को श्री एस० एम० बनर्जी के नोटिस पर श्री कुरैशी साहिब ने अपने उत्तर मे यह कहा था कि मै सदन को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि सरकार का विचार है कि जिन के विरुद्ध गम्भीर तथा कठोर मामले है और जो दोषी हैं उन्ही को सजा दी जाए तथा जो भोले भाले है उन्हे नौकरी पर वापिस ले लिया जाए। मै जानना चाहता हू कि टिकट चेकिंग स्टाफ के ऐसे लोग जिन के खिलाफ किसी तरह का कोई मामला नही है किन्तु जो व्यक्तिगत विद्वेष के शिकार है उनको वापिस लिया जाएगा? मान ले कि डी एस ने किसी ऐसे व्यक्ति को बरखास्त कर दिया है। ऐसे लोगों को वापिस बुलाने मे कौनसी आपत्ति और अगर कोई नही है तो कब तक उनको वापिस ड्यूटी पर बुलाया जाएगा ?

श्री मुहम्मद शफी कुरैशी पालिसी यही है कि जिन के खिलाफ कोई इलजाम नही है उनको सजा न दी जाए। स्टेटमेंट मे यह दिया हुआ है कि 59 टिकट चेकिंग स्टाफ के लोगों को ससपेंड किया गया था। इन मे से 55 फिर से वापिस ले लिए गए है। चार के खिलाफ अदालतो मे केस चल रहे है। 226 इस कैटगरी मे स्टाफ के लोग थे जिन को डिसमिस किया गया था जिन मे से 184 को वापिस ले लिया गया है। 28 केस जो वापिस नही लिए गए है उन मे से 18 के मुताल्लिक फैसला कर लिया गया है। और उनके खिलाफ केस ड्राप किए जा रहे है। दस रह जाते है। इससे यह साफ है कि हम नही चाहते है कि किसी को बिला वजह तकलीफ दी जाए या सजा दी जाए, बिना किसी जुर्म के सजा दी जाए। इस मामले में हम काफी आगे बढ़े हैं। दस पन्द्रह के लिए बाकी रह जाते हैं और उनका भी बहुत जल्द फैसला किया जाएगा।

श्री शंकर दयाल सिंह : वह कहते है कि जो भोले-भाले व्यक्ति है, कर्मचारी है उनको जल्द वापिस बुला लिया जाएगा लेकिन हकीकत यह है कि डी एस या सी सी एस की किसी टिकट चेकिंग स्टाफ से परसनल ग्रज है तो उसने उससे इस मे बदला लेना चाहा है और लिया है। आप ईस्टर्न रेलवे ले ले। सात को या तो डिसमिस किया गया है या सर्विस से हटाया गया है और उनको अभी तक वापिस नही लिया गया है। लेकिन मेरे पास ऐसे दस कर्मचारियो के नाम है, लिस्ट है जिन को आपने रिमूव किया है। दानापुर मे तीन, हावडा मे एक, आसनसोल मे तीन, धनबाद डिविजन मे तीन। दानापुर डिविजन मे एन पी सिन्हा, हावडा मे डी बी राय, धनबाद डिविजन में तो एम एन० सिंह कुछ ऐसे लोग है जिनके ऊपर किसी तरह का कोई केस नही है और ऐसे लोगों को आपने ड्यूटी पर नही बुलाया है। ऐसे निरीह लोग जिन का कोई दोष नही है और जिन को जानबूझ कर तग करने के लिए ड्यूटी पर नही बुलाया जा रहा है और उनकी रोजी रोटी मारी जा रही है, क्या आप आदेश देंगे कि उनको अविलब ड्यूटी पर बुला लिया जाए ?

श्री मुहम्मद शफी कुरैशी जाती अदावत की बिना पर या जाती दुश्मनी की बिना पर किसी को तग किया जा रहा है तो उसको भी देखा जा सकता है और जो नाम माननीय सदस्य ने बताए है उनकी मै पूरी जाच करूगा। लेकिन 109 ईस्टर्न रेलवे मे एम्पलायीज को डिसमिस किया गया था जिन मे से 102 को वापिस ले लिया गया है। सिर्फ सात लोग है जिनके खिलाफ कोर्ट केसिस है। माननीय सदस्य ने नाम बताए है उनकी जांच करके पूरी इत्तिला मै दे दूगा।

श्री शंकर दयाल सिंह : मैं ने तो तीन व्यक्तियों के नाम लिए है, उन के ऊपर कोई कोर्ट केसेज नहीं है लेकिन डी एस चाहते हैं कि जब तक मैं रहूंगा तब तक इन को ड्यूटी पर नहीं आने दूंगा, इस तरह का तो अन्याय हो रहा है।

श्री मुहम्मद शफी कुरैशी . इस को हम जाच कर लेंगे।

SHRI NOORUL HUDA: The hon. Minister has given the number of employees dismissed and removed from service and he has given in the third column the number of employees against whom prosecution is pending. We find from this list that except for Central and Northern Railway, in the other cases prosecution is not pending against those employees dismissed or removed from service I would like to know the reasons for not taking back those employees for the last six months What are the Government doing so that these employees can join service immediately?

SHRI MOHD SHAFI QURESHI: This question pertains to the ticket checking staff If the hon Members want, I can give some more information

PROF. MADHU DANDAVATE Sir, let him be not so technical. What applies to the ticket checking staff applies to others also Sir, give him more latitude.

श्री हरि किशोर सिंह : मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या टिकट चेकिंग स्टाफ के लोग भी हडताल पर गए थे ? मेरी जानकारी है कि अधिकतर टिकट चेकिंग स्टाफ के लोग हड़ताल पर नहीं गए थे और जो शकर दयाल जी ने कहा है विद्वेष के कारण बहुत से अफसर लोग उन से इसी मे बदला चुका रहे हैं। बुनियादी बात यह है कि वे हड़ताल पर गए थे या नहीं गए थे ? नहीं गए थे तो उनके ऊपर कार्यवाही करने का प्रश्न कैसे उठता है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरैशी : यह हकीकत है कि ये लोग हड़ताल पर गए थे। उसके बाद उन्होंने जो और भी काम किए हैं उस के ऊपर कार्यवाही की गई है।

श्री भागवत झा आजाद अध्यक्ष महोदय बार–बार के प्रश्नों के उत्तर में मन्त्री जी ने यह कहा है कि हम उदारता के साथ उन केसेज को ले रहे है जिन के खिलाफ कि कोर्ट मे केसेज नहीं है या जिन के खिलाफ आग लगाने या और भी वायलेस इत्यादि के केसेज नहीं है। बार बार हम तमाम लोग उन से पूछते है और शकर दयाल जी ने पूछा कि ऐसे उदाहरण है रेलवे मे जिन पर कि कोई केसेज नहीं है कोर्ट मे और जिन के खिलाफ कोई वायलेस का केस भी नहीं है, मगर उन को भी अभी तक ड्यूटी पर नहीं बुलाया गया केवल इसलिए कि उन के ऊपर के अधिकारी उन के खिलाफ है और चाहते है कि इन को हम इसी बहाने सजा दे इस के तीन उदाहरण दिए , तो हम यह जानना चाहते है कि ऐसे केसेज मे किस प्रकार इस बात को देखते हैं कि उन को नौकरी पर न बुलाने का कारण उन के ऊपर के अधिकारियों का विद्वेष है ? क्या उन के पास मशीनरी है जिससे उन्हे यह पता लग सके कि डी एस या दूसरे ऊपर के अधिकारी इन के खिलाफ विद्वेष के कारण वह कार्यवाही नहीं कर रहे हैं ?

श्री मुहम्मद शफी कुरैशी : अध्यक्ष महोदय 5700 कर्मचारियों के खिलाफ अदालत से केसेज हैं और इन तमाम केसेज की जाच रेलवे ने अपने तौर पर की है। हम ने यह फैसला किया है कि इन मे से 3,350 के खिलाफ वायलेस का कोई जार्ज नहीं है, ये केसेज ड्राप किए जाये। उस के लिए विदड्राअल के लिए स्टेट गवर्नमेंट को लिखना पडेगा। उस का एक प्रोसीजर है विदड्राअल का, उसके मुताबिक

काम करना पड़ेगा और उन को लिखना पड़ेगा कि ये केसेज विदड्रा कर लिए जायें। तो 5700 केसेज में से रेलवे ने खुद व खुद 3,360 केसेज के लिए यह कहा है कि ये केसेज ड्राप किए जायें। बाकी जो 2 हजार के करीब रह जायेंगे अदालत उन के उपर फैसला करेगी, उस के अनुसार कार्यवाही होगी।

श्री भागवत झा आजाद : ये फिगर्स बार बार दी गई हैं। यह तो हम ने सुन लिया है। हम तो यह पूछ रहे हैं कि जिनके खिलाफ ऊपर के अधिकारी विद्वेष के कारण कार्यवाही किये हुए है, विद्वेष के कारण जिनको वापस ड्यूटी पर नही बुला रहे है उनको बचाने के लिए आप क्या कर रहे है? उसके तीन उदाहरण भी दिये।

श्री मुहम्मद शफी कुरैशी : शायद माननीय सदस्य को मालूम नही है कि यह फिगर मैं पहली बार हाउस मे दे रहा हूं।

श्री भागवत झा आजाद : बडी बहादुरी का काम कर रहे है। हम को मालूम नही है, समूची मालूमात की जिम्मेदारी मंत्री जी ने ही ले ली है. . . (व्यवधान) . . .

श्री शंकर दयाल सिंह: 6 अगस्त, 1974 को यह फिगर आप दे चके है। मेरे हाथ मे है। आप ने यह भी दिया है कि कितनो को आप ने अरेस्ट किया, कितनो को जेल मे रखा और कितनो को छोड़ा। यह लिस्ट है, आप देख लीजिये। आप के लिए मैं और ज्यादा कुछ नही कहना चाहता हूं, बड़े मंत्री रहते तो मैं जरूर कहता।

PROF. MADHU DANDAVATE: Sir, efore I ask a question, under Rule 15, I will separately give a notice or the Minister's giving a wrong newer today because on 5th August, 974, he has already given the figures. oday, he says that he has never iven such figures on the floor of the louse. I will give a separate notice or that.

Now, I come to my question....

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : स्पीकर साहब कहेंगे इम्प्रोप्राइटी है, कोई ब्रीच आफ प्रिविलेज नही है।

PROF. MADHU DANDAVATE: The breach of propriety committed three times should be considered as equal to one breach of privilege.

अध्यक्ष महोदय : आप ने अपना गस्सा निकाल लिया।

PROF. MADHU DANDAVATE: In pursuance of the question that Shri Limaye and I had raised earlier and to which he had given a reply, when we asked how many cases involving sabotage and violence were there against the railway employees, how many have been disposed of and whether they were found guilty of sabotage and violence, he had stated on the floor of the House, on that occasion, "I have not got information so far" So many months have elapsed and he should have that information now. The question related to ticket checking staff as well as others.

I have received a telegram this morning from the Southern Railway saying that though there is no case pending related to sabotage and violence, still they are dismissed and they are not reinstated. Therefore, I want to know specifically from the hon. Minister, out of such cases, how many cases are there in which there is a charge of sabotage and violence and that charge has been established. and, in the case of the rest of the employees, I want to know whether he is going to reinstate them unconditionally.

MR. SPEAKER: Ticket Checking Staff and others also?

PROF. MADHU DANDAVATE: Ticket Checking Staff and their friends.

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI: Sir, because this Question related to Ticket Checking Staff, today I have only the figure of Ticket Checking Staff with me....

MR. SPEAKER: It is much better, you do statistical checking and you check your answer also. It may not create a headache for me later on.

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI: I want to make one thing clear about the figure that I have given today. On the last occasion, I had mentioned that the total number of persons against whom the cases were pending was 5,800. Today, I have given the number of cases pending in the court as 5,700. So, this is the information which I am giving to the House for the first time. Since last time, when I replied to the question, we have dropped cases against about 100 persons. What I am saying today is that the Government has taken a decision to drop 3,350 cases which are pending against the employees who are involved in sabotage and violence. Out of 5,700 cases, we are dropping cases against 3,350 persons. About whatever cases remain, these are being scrutinised and, I am sure, more cases will be dropped. Ultimately, a few cases involving sabotage and violence will remain which will, naturally, go to the court and we will abide by the decision of the court.

PROF. MADHU DANDAVATE: I want to know in how many cases of sabotage and violence, the court has found them guilty.

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI: The cases are pending before the court. Until they are disposed of, how can I say that?

श्री मधु लिमये : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। मेरा ही प्रश्न था यह। आप डायरेक्शन देखिये जो क्वेश्चन के बारे में है। मैं उसके अंदर खड़ा हुआ हूं। पूरा उत्तर आना चाहिए यह आप के डायरेक्शन में है। पिछली बार हम ने सवाल पूछा था। कन्विक्शन कितने लोगों का हुआ यह सवाल नहीं है, कितने लोगों के खिलाफ वायलेंस और सैबोटेज के चार्जेज है, यह सवाल है।

He has to give the answer.

MR. SPEAKER: The main questio relates to Ticket Checking Staff wh have been suspended or dismissed against whom prosecutions wer launched.

SHRI MADHU LIMAYE: It doe not relate to conviction.

अध्यक्ष महोदय : अभी तो प्रासीक्यूशन तक ही पहुंच पाये है।

PROF. MADHU DANDAVATI How many months are required f the hon. Minister to collect the dat You may not protect us, Sir. B please protect the railway workers

MR. SPEAKER: It is not a qu tion of protecting the railway wor ers or yourselves. I am protecti the question. The question is ve categorical.

PROF. MADHU DANDAVAT Please protect the supplementa also—and not only the main que tion.

MR. SPEAKER: Mr. Dhamanka

SHRI DHAMANKAR: There a many cases of railway servants w have been dismissed because th took active part in strike. There a no charges of violence or sabota against them. They have appea to the General Managers, but th cases have been rejected. May know from the hon. Minister wh ther such cases will be treated sy pathetically and those persons w be reinstated as early as possible

SHRI MOHD. SHAFI QURES The figures have been given earli Out of 16,749 employees who w

dismissed or removed from service, 12,000 have already been taken back on appeal. That means, about 85 per cent of those who had appealed have been taken back for duty. 2,500 persons have not appealed. The total number of appeals pending before the railway authorities or the appellate authorities is not more than 2,000.

श्री रामावतार शास्त्री अध्यक्ष जी, इन्होंने सरकार की नीति बार-बार स्पष्ट की है कि जिनके खिलाफ हिंसा और तोडफोड की घटनाओं का सम्बन्ध नहीं होगा, उन सब को ड्यूटी पर ले लेंगी। अभी इन्होंने जो फिगर्स दी हैं उनके अनुसार सस्पेन्ड 5, डिसमिस्ड एण्ड रिमूव्ड 32, तथा 10 आदमी चैकिंग स्टाफ के भी है, जिन पर मुकदमा चल रहा है। मैं यह जानना चाहता हू—जिन आंकडो को आपने अपने वक्तव्य मे दिया है—क्या ये तमाम वायलेस और सैबोटेज से सम्बन्धित है? अगर नही है तो अब तक इनको वापस लेने मे कौन सी कठिनाई हो रही है? अगर इन लोगो ने सैबोटेज और वायलेस किया है तो मेहरबानी करके साफ साफ बतलाइये। लेकिन ये गोल-गोल जवाब दिये जा रहे हैं।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी जिन कर्मचारियो के खिलाफ अदालत मे केसेज है उनके बारे मे मेरे लिये कहना कि उनका ताल्लुक सैबोटेज और वायलेस से है—यह कब्लअजवक्त बात होगी, क्योकि अदालतें शहादत की बिना पर फैसला करेंगी, . . .

अध्यक्ष महोदय : मिनिस्टर साहब, अदालतें पता नही क्या फैसला करेंगी, लेकिन आपने किस बिना पर उनको रखा हुआ है?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : जनाब, मेरे पास इस वक्त टोटल आल इण्डिया फिगर्स है उनके मुताबिक 634 कर्मचारियो के खिलाफ सैबोटेज के चार्जेज हैं . . . 591 कर्मचारियो के खिलाफ सीरियस चार्जेज आफ आब्स्ट्रक्शन टु रेलवे वर्किंग है, वायलेस के केसेज 95 है, इस तरह से 1320 केसेज है।

(व्यवधान).

अध्यक्ष महोदय शोर मचाने से कोई मसला हल नही होता है।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या यह बात सही है कि डीसन्ट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पर पावर्स डी०एस०एम० को डेलागेट कर दी गई हैं और ये डी०एस०एम० उन पावर्स का दुरुपयोग कर रहे हैं—परसनल ग्रज के आधार पर कार्यवाही की जा रही है, इसमें चैकिंग स्टाफ को भी इन्क्लूड कर लिया गया है। जो आदमी वायलेस और सैबोटेज मे इन्वाल्व्ड नही है, उनको पर्सनल ग्रज के चलते खामखाह परेशान किया जा रहा है। इस तरह के बहत से केसेज के बारे मे हम ने रिप्रेजेन्ट किया है और हमारे दोस्तो ने भी उन मामलो को उठाया है। मै जानना चाहता हू कि उन मामलो के बारे मे आप क्या करने वाले है? क्या इस तरह का कोई फैसला नही किया जा सकता कि जो आदमी वास्तव मे सैबोटेज और वायलेस मे इन्वाल्व्ड न हो, उन सब को छोड देने का आदेश दिया जाय?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी एक बात मेरी समझ मे नही आती—अगर यह तसव्वुर कर लिया जाय कि जाती जिद की बिना पर किसी पर केस किया गया है—तो अव्वल तो वह इस बात को नही मानेगा कि उसने ऐसा किया है। फिर भी हो सकता है कि कुछ ऐसे केसेज हो जो अदालत और जाती-जिद की बिना पर किये गये हो, मैं उन केसेज पर गौर करने को तयार हू, आप मुझे बतलाये और अगर सही साबित होगे तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या यह सच है कि कुछ रेलवे कर्मचारियों को जिन्हें हड़ताल में भाग लेने के कारण नौकरी से

निकाला गया था, जब हाई कोर्ट में उन्होंने अपील की तो उनकी अपील स्वीकार कर ली गई और रेलवे मंत्रालय को कहा गया कि उनको काम पर वापस ले लिया जाय। क्या यह भी सच है कि रेलवे मंत्रालय हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहा है? मैं पूछना चाहता हूं कि इसकी क्या जरूरत है? उन्हें हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार काम पर वापस क्यों नहीं लिया जाता?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : रेलवे के महकमे को भी आईन के मुताबिक हक है कि फैसले के खिलाफ अपील करे। अगर हम ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है तो इसमें कोई खिलाफ-कानून काम नहीं किया है।

Import of Soda Ash

+

*286. SHRI D. P. JADEJA:
SHRI VEKARIA:

Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state:

(a) whether Soda Ash is being imported;

(b) if so, the quantity imported during the last three years, year-wise; and

(c) the names of the countries from which it was imported?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI C. P. MAJHI): (a) Yes, Sir.

(a) and (c). A statement is laid on the Table of the House.

Statement

The quantity of soda ash imported during the last three years and the names of countries from which it was imported are as follows:—

Year	Quantity Tonnes	Country
1972-73	1780	Romania
	2491	Kenya
	4271	
1973-74	2500	Romania
1974-75	2500	Romania

SHRI D. P. JADEJA: Considering the fact that India has been a principal exporter of industrial salt and that being the basic raw material for soda ash, may I know when the Government expect our country to become self-sufficient in soda ash?

SHRI C. P. MAJHI: The production of soda ash actually has not picked up according to the requirements of our country in the past and in fact, we have in the meantime increased our capacity and we have now been importing only a very small quantity of soda ash. In the Fifth Five Year Plan we expect to meet the requirements of our country and we will also be able to export some quantity.

SHRI D. P. JADEJA: The hon. Minister said that in the Fifth Five Year Plan we will become self-sufficient. May I know whether in this country it is only the Tatas, Birlas and the Sahu Jains who are manufacturing soda ash and on the Gujarat coast which produces almost 50 per cent of the industrial salt, has the Government done anything to encourage the co-operative sector or other industrial units to manufacture soda ash?

SHRI C. P. MAJHI: It is a historic fact that the production of soda ash has been confined only to the private sector. But we have now issued letters of intent to the Industrial Development Corporations and we are also encouraging co-operatives and if any specific proposal comes, we will certainly consider that.

SHRI VEKARIA: I am happy to know that the Government expect that the country will become self-sufficient in soda ash within the next five years. I would like to know how many applications are pending before the Ministry for the expansion of the existing industries and for setting up new units and what time it will take to dispose of these applications.